

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0-IV-लेखा-304/2021-22/ 21 (आ0) /मत्स्य/राँची/दिनांक 25.03.2022

प्रेषक,

एच0 एन0 द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) अन्तर्गत 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय-65-फीड बेस्ड फिशरीज योजना की कुल मो0 38,39,600/-रु0 मात्र (अड़तीस लाख उन्चालीस हजार छः सौ) रूपये मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग : सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 46 रा0 (वि0) दिनांक 23.03.2022 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं0 2350 तथा सामान्य आवंटनादेश सं0 66 आ0 (वि0) दि0 25.03.2022, ऑनलाईन आवंटन सं0 5056 ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय-65-फीड बेस्ड फिशरीज योजना की कुल मो0 38,39,600/-रु0 मात्र (अड़तीस लाख उन्चालीस हजार छः सौ) रूपये मात्र निम्न मदों में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन कुल स्वीकृत राशि मो0 38.396 लाख (अड़तीस लाख उन्चालीस हजार छः सौ) रु0 के विरुद्ध आवंटित है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 224/बजट/दिनांक 30.03.2021 के आलोक में व्यय की अनुमति प्राप्त है।

मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय-65-फीड बेस्ड फिशरीज योजना अन्तर्गत निधि का आवंटन :


क्र0	स्थापना का नाम	विस्तृत शीर्ष- 05-निर्माण-45-निर्माण कार्य विपत्र कोड- 53S44050079665010545
1	जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची	3839600
कुल योग :		3839600

कुल आवंटन अड़तीस लाख उन्चालीस हजार छः सौ रु0 मात्र।

3. इस आवंटन के विरुद्ध वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03, में निहित प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जायेगी।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों/कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप अंकित होना चाहिए ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
5. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में किये गये निदेश के आलोक में किया जाये। इसके साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
6. राशि की निकासी झारखण्ड कोषागार संहिता के नियमों का अनुपालन सख्ती से किया जाये। तुरंत भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाये।
7. स्वीकृत्यादेश सं0 46 रा0 (वि0) दिनांक 23.03.2022 के कंडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाए।
8. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे जो डोरण्डा कोषागार से एक मुस्त में राशि की निकासी करते हुए कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल-2, राँची को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे।
9. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे क्तवच कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन।


विश्वासभाजन


(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।


ज्ञापांक 21 (377) मत्स्य/ राँची, दिनांक 25.03.2022

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 21 (377) मत्स्य/राँची, दिनांक 25.03.2022

प्रतिलिपि संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - IV/304/21-22/21

दिनांक - 25-Mar-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 44050079665010545 4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 00 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 65 - फीड बेस्ड फिशरीज 01-फीड बेस्ड फिशरीज (निर्माण) 05 - निर्माण State Scheme State Scheme : FEED BASED FISHERIES (CAPITAL)(0644) Central Scheme : NA	91234	DRNFSH005 ARUP KUMAR CHOUDHARY DIST.FISH.OFF.CUM EX.OFFICER 45 - निर्माण कार्य	3,839,600.00 रुपये अडतीस लाख उनचालीस हजार छः सौ



योग: 3,839,600.00
क्रमिक योग: रुपये अडतीस लाख उनचालीस हजार छः सौ

(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES

वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)

मुख्य शीर्ष-4405 - मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना & 65 - फीड बेस्ड

फिशरीज

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53S44050079665010545	Total
1	2	3	4	5	निर्माण कार्य	7
1	Doranda	DRNFSH005	Arup Kumar Choudhary	Dist.Fish.Off.Cum Ex.Officer	₹38,39,600.00 (91234)	₹38,39,600.00

कुल आवंटित राशि :- ₹38,39,600.00 (vMrhl yk[k mupkyhl gtkj N% lkS) रूपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

21 (3-110)
25/03/2022

AD
25/3/22
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES